

1 आप.प्र.क.क्रमांक-1331/2015
न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-1331/2015
संस्थित दिनांक-30/12/2015
फाई.नं.-3015542015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

संतोष पिता रामसिंह उर्फ खुमानसिंह उम्र-20 वर्ष,
जाति परधान, निवासी-ग्राम पाण्डेवाड़ा चौकी तुरुरर पाण्डेवाड़ा
थाना बम्हनी, जिला मण्डला, हाल निवासी -कैण्डाटोला
थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

-अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-20/02/2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-21.11.2015 को समय 23:00 बजे से 2:00 बजे के बीच तक स्थान प्रार्थिया की दुकान केडाटोला बिरसा थाना बिरसा के अंतर्गत फरियादिया सुखवती धुर्वे की दुकान में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर फरियादिया की दुकान में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की पैसे रखने की पेटी को खोलकर करीब छः सौ रुपये और चिल्लर करीब सौ रुपये तथा एक कांसे की थाली एवं स्टील का लोटा कीमती करीबन दो सौ रुपये, कुल नौ सौ रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया दिनांक 21.11.2015 की रात में करीब 9:00 बजे दुकान बंद कर घर में खाना पीना खाकर टी.व्ही. देखकर करीब 11:00 बजे सो गयी थी। रात्रि करीब 2:00 बजे कुत्ता के भोंकने की आवाज आने पर फरियादिया ने उसके घर के सामने दुकान पर जाकर देखा था तो कुत्ता रोड पर बिस्किट खा रहा था। किराने की दुकान के सामने का दरवाजा खुला हुआ एवं सांकल ताला टूटा हुआ था। फरियादिया ने दुकान के अंदर जाकर देखा था तो फरियादिया के पैसे रखने की पेटी खुली हुई थी जिसमें बिक्री के करीब 600/- रुपये और चिल्लर करीब 100/-रुपये एवं एक कांसे की थाली, एक स्टील का लोटा, कीमती करीब 200/-रुपये कुल 900/- रुपये अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। सुबह होने पर फरियादिया ने पड़ोस के

सेवकराम धुर्वे एवं कमल चौधरी को घटना की बात बतायी थी। फरियादिया का चोरी हुआ सामान देखकर वह पहचान लेगी। फरियादिया की कांसे की थाली पर उसका नाम लिखा है जिसे मिलने पर देखकर वह पहचान लेगी। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बिरसा ने अपराध क्रमांक-121/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-21.11.2015 को समय 23:00 बजे से 2:00 बजे के बीच तक स्थान प्रार्थिया की दुकान के डाटोला बिरसा थाना बिरसा के अंतर्गत फरियादिया सुखवती धुर्वे की दुकान में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की दुकान में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की पैसे रखने की पेटी को खोलकर करीब छः सौ रुपये और चिल्लर करीब सौ रुपये तथा एक कांसे की थाली एवं स्टील का लोटा कीमती करीबन दो सौ रुपये कुल नौ सौ रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- सुखवतीबाई अ.सा.1 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से चार-पांच माह पूर्व की रात्रि के समय की है। साक्षी के घर के सामने ग्राम केण्डाटोला में उसकी छोटी सी किराना दुकान है। साक्षी का घर एवं दुकान

अलग-अलग हैं। साक्षी घटना की रात्रि में खाना खाकर सो गयी थी। दो बजे रात्रि में उठी थी तो साक्षी ने देखा था उसकी दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। आंगन में कुत्ता नमकीन खा रहा था। उसके बाद साक्षी खाट लगाकर आंगन में सो गयी थी। सुबह उठने पर साक्षी ने पड़ोस के सेवकराम को चोरी के बारे में बताया था। दुकान में सब सामान था किंतु नगदी 700/-रुपये, स्टील की थाली, कांसे का लोटा कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। साक्षी ने चोरी के संबंध में पुलिस थाना बिरसा में प्र.पी.01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। पुलिस घटनास्थल पर आयी थी साक्षी के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस थाना लेकर गयी थी। साक्षी के समक्ष पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 02 तैयार किया था। अभियुक्त ने साक्षी के समक्ष प्र.पी.03 का मैमोरेण्डम दिया था। पुलिस ने साक्षी के समक्ष अभियुक्त से पैसे, स्टील का लोटा, कांसे की थाली प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी। सामान पहचान की कार्यवाही गवाहों के समक्ष साक्षी से करायी थी। साक्षी के चोरी किये गये सामान की शिनाख्ती की कार्यवाही सेवकराम धुर्वे, कमल चौधरी एवं साक्षी के समक्ष हुई थी। जिसमें साक्षी ने उसका स्टील का लोटा, कांसे की थाली पहचान ली थी। शिनाख्ती कार्यवाही का पंचनामा प्र.पी.06 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 21.11.2015 की रात्रि के दो बजे की केंडाटोला की है। घटना के समय रात्रि में उसके घर के सामने कुत्ता भौंक रहा था। साक्षी आवाज सुनकर उठी थी। साक्षी ने उसकी दुकान पर जाकर देखा था तो दुकान का सटर खुला हुआ एवं ताला टूटा हुआ था। साक्षी ने उसकी दुकान में जाकर देखा था तो 600/- रुपये, 100/-चिल्लर कांसे की थाली, स्टील का लोटा वहां पर नहीं मिले थे। कांसे की थाली एवं स्टील के लोटे की कीमत 200/- रुपये थी। पुलिस ने साक्षी से घटनास्थल पर एक ताला डिक्टो राउण्ड वाला एवं दरवाजे का कुंदा जप्त किया था। पहचान कार्यवाही ग्राम के सरपंच कमलसिंह से नहीं करायी गयी थी। पुलिस ने साक्षी के घटना के संबंध में बयान लिये थे।

7— सेवकराम अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से छः-सात माह पूर्व की ग्राम केंडाटोला की सुखबतीबाई की किराना दुकान की है। सुबह हल्ला होने पर साक्षी सुखबतीबाई की किराना दुकान पर गया था। तब साक्षी को सुखबतीबाई ने चोरी होने के बारे में बताया था। साक्षी को यह भी बताया था कि दुकान का सामान बिखरा हुआ,

ताला एवं लकड़ी के दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था। दुकान में रखे पैसे एवं बर्तन चोरी हो गये थे। पुलिसवाले अभियुक्त के पकड़कर थाने लेकर गये थे। तब अभियुक्त ने साक्षी के समक्ष चोरी करना स्वीकार किया था जिसका मेमोरेण्डम प्र.पी.03 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा के अनुसार अभियुक्त से उक्त सामान जप्त हुआ था। सुखबतीबाई से एक लोहे की राड़, बर्तन, 700/-रुपये कुछ सामान जप्त किया था। शिनाख्ती की कार्यवाही साक्षी के समक्ष थाने में हुई थी। जिसमें सुखबतीबाई ने उसके बर्तन पहचान लिये थे। पहचान कार्यवाही में साक्षी के अतिरिक्त सुखबतीबाई एवं कमलसिंह भी थे जिनके समक्ष पहचान कार्यवाही हुई थी। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को सुखबतीबाई ने साक्षी को 600/-रुपये नगद, 100/-रुपये चिल्लर एवं कांसे की थाली, स्टील का लोटा चोरी होना बताया था। अभियुक्त से साक्षी के समक्ष एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में एक कांसे की थाली जिस पर सुखबतीबाई का नाम लिखा था, एक स्टील का लोटा और एक सफेद रंग की झिल्ली में 100/-रुपये की चिल्लर एवं 600/-रुपये नगद जिसमें 20 एवं 10 के नोट थे, एक लोहे की राड़ पुलिस ने प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी। सुखबतीबाई से साक्षी के समक्ष घटनास्थल से एक ताला जिस पर जिफटो-2 राउंड 65 एवं दरवाजे का कुंदा लिखा हुआ था जप्त किया था। कमलसिंह मेरावी से शिनाख्ती की कार्यवाही साक्षी के समक्ष करायी गयी थी।

8— कन्हैयालाल अ.सा.04 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से छः-सात माह पूर्व की ग्राम कंडाटोला की सुखबतीबाई के घर की रात्रि के समय की है। साक्षी ने सुबह देखा था तो सुखबतीबाई की दुकान में भीड़ लगी थी तब साक्षी वहां पर गया था। अभियुक्त संतोष वहां पर खड़ा था। साक्षी के पूछने पर सुखबतीबाई ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके घर से चोरी की है। पूछताछ करने पर अभियुक्त के पास से 700/-रुपये, कांसे की थाली, एक लोटा मिला था। घटना की रिपोर्ट सुखबतीबाई ने थाने में की थी। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाने लेकर गयी थी। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे।

9— महेश अ.सा.05 का कहना है कि घटना दिनांक 22.11.2015 की रात्रि के समय की है। सुबह जब हल्ला हुआ था तब साक्षी भीड़ देखकर सुखबतीबाई के घर गया था। सुखबतीबाई ने बताया था उसके घर पर चोरी हो गयी थी। चोर

थाली व पांच-छः सौ रुपये चोरी कर ले गया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी उसे लोटा, थाली एवं पांच छः सौ रुपये देखने में नहीं आये थे।

10— किरण कुमार प्रधान आरक्षक अ.सा.07 का कथन है कि दिनांक 22.11.2015 को फरियादी सुखबतीबाई की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 121/2015 का अपराध पंजीबद्ध किया था। केस डायरी प्राप्त होने पर साक्षी ने दिनांक 22.11.2015 को अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं चोरी गये माल को 40 क्वाटर की झाड़ी में छिपाने का मेमोरेण्डम प्र.पी.03 दिया था जिसके सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। दिनांक 24.11.2015 को चोरी का सामान प्लास्टिक के थैले में कांसे की थाली, स्टील का लोटा, चिल्लर सिक्के 100/-रुपये, 600/-रुपये के नोट, लोहे की रॉड, प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा अभियुक्त से जप्त किये थे एवं अभियुक्त से प्र.पी.05 के जप्ती पंचनामा द्वारा ताला जप्त किया था। अभियुक्त को प्र.पी.07 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था एवं अभियुक्त के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी.08 के द्वारा दी थी। साक्षीगण के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

11— कमलसिंह अ.सा.03 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से सात आठ माह पूर्व की ग्राम केण्डाटोला की सुखबतीबाई के घर की रात्रि के समय की है। साक्षी को सुखबतीबाई ने घटना के दूसरे दिन बताया था कि उसकी दुकान का ताला एवं दरवाजे की सांकल को तोड़कर कोई चोर सात सौ रुपये एक कांसे का लोटा, एक थाली चोरी कर ले गया है। पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल से सुखबतीबाई से ताला एवं दरवाजे का टूटा हुआ कुंदा प्र.पी.05 के जप्तीपंचनामा द्वारा जप्त किया था एवं अभियुक्त को प्र.पी.07 के गिरतारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी के समक्ष प्र.पी.06 की शिनाख्ती की कार्यवाही हुई थी जिसमें सुखबतीबाई ने उसके सामानों को पहचान लिया था।

12— कलमसिंह उर्फ कमल अ.सा.06 का कहना है कि वह अभियुक्त एवं फरियादी को जानता है वह ग्राम केंडाटोला का सरपंच है। उसके द्वारा गवाह कमलसिंह की उपस्थिति में प्र.पी.06 की शिनाख्ती कार्यवाही की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पहचान कार्यवाही में एक कासों की थाली

व एक लोटा एवं रुपये पैसों की पहचान कार्यवाही की थी। पहचान कार्यवाही में गवाह सेवकराम, कमलसिंह उपस्थित थे सुखबतीबाई पांच-दस मिनिट के बाद उपस्थित हो गयी थी। सुखबतीबाई ने उसके चोरी गये सामान को पहचान लिया था। साक्षी से शिनाख्ती की कार्यवाही दिनांक 01.12.2015 को करायी थी। शिनाख्ती कार्यवाही सेवकराम, कमलसिंह एवं सुखबतीबाई के समक्ष की गयी थी।

13— अमृत तिग्गा अ.सा.08 का कथन है कि वह दिसम्बर 2015 में पुलिस थाना बिरसा जिला बालाघाट में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनके समक्ष अपराध क्रमांक-121/2015 की केस डायरी अन्वेषण के उपरान्त चालानी कार्यवाही के लिए रखी गयी थी। तब उन्होंने चालानी कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये थे।

14— प्रकरण में उभयपक्षों की तर्कों पर विचार किया गया प्रकरण के प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा में यह लिखा है कि अभियुक्त से एक प्लास्टिक का थैला, दो थाली, एक स्टील का लोटा चिल्लर के सिक्के 100/-रुपये, 20 रुपये के 7 नोट एवं 10 रुपये के 46 नोट, 600/- रुपये, एक लोहे की राड़ जप्त हुई थी एवं प्र.पी.05 के जप्तीपंचनमा में यह लिखा है कि फरियादिया के द्वारा पेश करने पर घटनास्थल से एक ताला जप्त किया था। उक्त सामान को जप्त कर जप्तीकर्ता अधिकारी ने शिनाख्ती की कार्यवाही कलमसिंह उर्फ कमल से करायी थी। सेवकराम अ.सा.02 ने साक्ष्य की कंडिका-2 में कमलसिंह मेरावी के द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही किया जाना बताया है। परंतु फरियादी सुखबती अ.सा.01 ने साक्ष्य की कंडिका-2 में बताया है कि शिनाख्ती की पहचान कार्यवाही गांव के सरपंच कमलसिंह से नहीं करायी थी। सेवकराम अ.सा.02, जप्तीकर्ता अधिकारी अ.सा.07 की साक्ष्य एवं फरियादिया सुखबतीबाई अ.सा.01 की साक्ष्य में प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्ती की कार्यवाही कलमसिंह उर्फ कमल अ.सा.06 से कराये जाने के संबंध में विरोधाभास है।

15— सुखबतीबाई अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह बताया है कि प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्र.पी.02 के मौकानक्शा, प्र.पी.03 के मैमोरेण्डम प्र. पी.04 एवं प्र.पी.05 के जप्ती पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर एक साथ थाने में कराकर उक्त दस्तावेजों की लिखा पढ़ी थाने के मुंशी ने की थी एवं दस्तावेज लिखते समय अभियुक्त उपस्थित नहीं था। साक्षी ने उक्त दस्तोवज लिखते समय अभियुक्त को नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में प्र.पी.01 लगा. प्र.पी.05 के दस्तावेज संदिग्ध दर्शित होते हैं। सुखबतीबाई को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उसके जो रुपये थे वह कितने-कितने के नोट थे एवं कितने के सिक्के थे।

पुलिस ने सुखबतीबाई से जब उसके सामान की शिनाख्ती करायी थी तब उस सामान में अन्य कोई सामान नहीं मिलाया था। सुखबतीबाई की साक्ष्य से शिनाख्ती की कार्यवाही विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है। सेवकराम अ.सा.02 ने भी उसकी साक्ष्य की कंडिका-3 में यह बताया है कि प्र.पी.01, 04, 05 में पुलिसवालों के कहने पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। जब थाने में हस्ताक्षर किये थे तब अभियुक्त उसके सामने नहीं था। कमलसिंह अ.सा.03 ने भी उसकी साक्ष्य की कंडिका-3 में बताया है कि प्र.पी.04, 06, 07 के दस्तोवजों पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे। कन्हैयालाल अ.सा.04 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि पुलिसवालों ने अभियुक्त की जेब से चोरी के पैसे घटनास्थल पर निकाले थे। जबकि प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा में लिखे सामान के जप्ती का स्थान ग्राम केंडाटोला 40 क्वाटर तरफ पलाश के पेड़ के नीचे झाड़ियों में लिखा है। महेश अ.सा.05 ने घटना दिनांक 22.11.2015 बताया है। जबकि प्रकरण की घटना दिनांक 21.11.2015 की है। महेश की साक्ष्य में घटना की दिनांक के संबंध में विरोधाभास है। कलमसिंह उर्फ कमल अ.सा.06 ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-3 में बताया है कि उसने पुलिसवालों की उपस्थिति में थाने के प्रांगण में पहचान कार्यवाही की थी। प्र.पी.06 के शिनाख्ती मैमोरेण्डम में शिनाख्ती कार्यवाही का स्थान बस स्टेण्ड बिरसा प्रतिकालय में किया जाना लिखा गया हो तो वह गलत है। जबकि प्र.पी.06 के शिनाख्ती मैमोरेण्डम में शिनाख्ती का स्थान बस स्टेण्ड बिरसा प्रतिकालय लिखा है। साक्षी कलमसिंह उर्फ कमल की साक्ष्य में शिनाख्ती के स्थान के संबंध में विरोधाभास है। उक्त साक्षी ने प्र.पी.06 की शिनाख्ती की कार्यवाही पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति में की थी एवं प्र.पी.06 के शिनाख्ती मैमोरेण्डम उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था। ऐसी स्थिति में कलमसिंह उर्फ कमल अ.सा.06 की साक्ष्य से शिनाख्ती की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं होकर संदिग्ध है।

16— जप्तीकर्ता अधिकारी किरण कुमार अ.सा.07 ने उनकी साक्ष्य में दिनांक 22.11.2015 को अभियुक्त का मैमोरेण्डम लेना बताया है। जबकि अभियुक्त का प्र.पी.03 का मैमोरेण्डम दिनांक 24.11.2015 को लिया गया था। जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य एवं प्र.पी.03 के मैमोरेण्डम में अभियुक्त का मैमोरेण्डम लेने की दिनांक के संबंध में विरोधाभास है। प्र.पी.03 के मैमोरेण्डम में अंगूठा लगा है परंतु अंगूठे के बारे में यह नहीं लिखा है वह निशानी अंगूठा किसका है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि वह अंगूठा निशानी किसका है। ऐसी स्थिति में भी यह विश्वसनीय नहीं है कि अभियुक्त ने प्र.पी.03 के मैमोरेण्डम में निशानी अंगूठा लगाया था। सुखबतीबाई अ.सा.01, सेवकराम अ.सा.02 की साक्ष्य

के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर गिरफ्तार कर उनके सामने अभियुक्त का मैमोरेण्डम लिया था। यदि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद उसका मैमोरेण्डम लिया था तो मैमोरेण्डम के आधार पर जप्त संपत्ति की जप्ती की कार्यवाही विधिवत नहीं मानी जाती है। प्रकरण के जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही एवं शिनाख्ती की कार्यवाही विधिवत नहीं है। अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को प्रकरण की घटना के बारे में दोषी मानना उचित नहीं है। साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गयी विवेचना एवं निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आवेदिका की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदिका के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

न्यायिक, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट म.प्र.